REGD. NO. D. L.-33004/99



PART II—Section 3 (i) प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

 सं. 284]
 नई दिल्ली, बुधवार, मई 2, 2018/ वैशाख 12, 1940

 No. 284]
 NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 2, 2018/ VAISAKHA 12, 1940

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 मई, 2018

सा.का.नि. 416(अ).—केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989, जिनमें केंद्र सरकार मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संशोधन करने का प्रस्ताव करती है, में और अधिक संशोधन करते हुए निम्नलिखित प्रारूप कतिपय नियमों को इस अधिनियम की धारा 212 की उप-धारा (1) के द्वारा यथावश्यक इसके द्वारा प्रभावित होने की संभावना वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है; और एतदद्वारा नोटिस दिया जाता है कि प्रारूप नियमों को उस तारीख से तीस दिन की अवधि समाप्त होने के बाद विचारार्थ स्वीकार कर लिया जाएगा जिसको सरकारी राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां जनता के लिए उपलब्ध करायी जाती हैं।

इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि समाप्त होने के भीतर उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त होने वाली किन्हीं आपत्तियों या सुझावों पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

(1)

इन प्रारूप नियमों के प्रति आपत्तियों एवं सुझावों, यदि कोई हो, को संयुक्त सचिव (परिवहन), ईमेल: js-tpt@gov.in, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 के पास भेजा जा सकता है।

#### प्रारूप नियम

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ - (1) इन नियमों को केन्द्रीय मोटर यान (... .. संशोधन) नियम, 2018 कहा जाएगा।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तिथि को या उसके छह माह पश्चात लागू होंगे।

केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 (इसके बाद उक्त नियम के रूप में उल्लिखित) में नियम
 115क के पश्चात निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थातः-

"115-कक संपीडित प्राकृतिक गैस या जैव-संपीडित प्राकृतिक गैस या तरल प्राकृतिक गैस ईंजन के साथ दुहरे ईंधन डीज़ल द्वारा चालित कृषि ट्रैक्टरों, पावर टिल्लर्स, निर्माण उपस्कर वाहनों और संयुक्त हार्वेस्टरों से धुआं और वाष्प का उत्सर्जन

(1) डीज़ल इंजनों का उपयोग करके दुहरे ईंधन और संपीडित प्राकृतिक गैस (इसमें इसके पश्चात सी एन जी के रूप में उल्लिखित), जैव-संपीडित प्राकृतिक गैस (इसमें इसके पश्चात बायो-सीएनजी के रूप में उल्लिखित) या तरल प्राकृतिक गैस (इसमें इसके पश्चात एलएनजी के रूप में उल्लिखित) में से किसी ईंधन में विनिर्मित या परिवर्तित प्रयोगरत डीजल इंजन ओ ई द्वारा चालित कृषि ट्रैक्टरों, पावर टिल्लर्स, निर्माण उपस्कर वाहनों और संयुक्त हार्वेस्टरों के मामले में डीज़ल मोड के लिए प्रचलित द्रव्यमान उत्सर्जन मानदंड टाइप अनुमोदन और उत्पादन की अनुरुपता हेतु सीएनजी या बायो-सीएनजी या एलएनपी के लिए भी अनुप्रयोज्य होंगे।"

(2) उत्सर्जन के लिए उपयोग किए जाने वाले सीएनजी या बायो-सीएनजी या एलएनजी संरचना आटोमोटिव अनुप्रयोग के लिए समय-समय पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार या भारतीय मानक ब्यूरों, यथास्थिति, द्वारा यथा-अनुसूचित ईंधन विनिर्देशों का अनुपालन करेंगे:

बशर्ते कि उस समय तक टाइप अनुमोदन और उत्पादन की अनुरुपता के प्रयोजनार्थ वाणिज्यिक सीएनजी या बायो-सीएनजी को उपयोग किया जाएगा तथा एलएनजी के मामले में टाइप अनुमोदन और उत्पादन की अनुरुपता के प्रयोजनार्थ अनुलग्नक IV-एल ए में दी गई अपेक्षाओं के अनुरुप ईंधन का उपयोग किया जाएगा। (3) मूल उपस्कर विनिर्माता या रिट्रोफिटर द्वारा अनुलग्नक IX (नियम 115 ख (1) ड़) में उल्लिखित, एआइएस-024 और एआइएस-028 में समय-समय पर यथा-संशोधित विनिर्धारित सुरक्षा संबंधी अपेक्षाओं और वाहन/ईंधन एवं इसके किए घटकों के लिए संव्यवहार संहिता का अनुपालन किया जाएगा।

(4) कृषि ट्रैक्टरों, पावर टिल्लर्स, निर्माण उपस्कर वाहनों और संयुक्त हार्वेस्टरों के सीएनजी या बायो-सीएनजी या एलएनजी दुहरे ईंधन इंजनों के लिए द्रव्यमान उत्सर्जन मानक भी इस अपवाद के साथ कि एचसी को माप आधार पर एनएमएचसी (नॉन मिथेन हाइड्रोकार्बन) द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, कृषि ट्रैक्टरों, पावर टिल्लर्स, निर्माण उपस्कर वाहनों और संयुक्त हार्वेस्टरों के डीज़ल इंजनों के लिए यथा-अनुप्रयोज्य मानक होंगे।

(5) इन नियमों के अंतर्गत कण तत्वों और दृष्टिगोचर प्रदूषकों (धुआं) के उत्सर्जन के लिए परीक्षण दूहरे ईंधन सीएनजी या बायो-सीएनजी या एलएनजी इंजन/यान के लिए अनुप्रयोज्य होंगे।

3. नियम 11 ख में,--

(i) शीर्ष में 'संपीडित प्राकृतिक गैस द्वारा चालित वाहनों के लिए द्रव्यमान उत्सर्जन मानक' शब्दों और आंकड़ों के लिए 'संपीडित प्राकृतिक गैस (सीएनजी) या जैव-संपीडित प्राकृतिक गैस (बायो-सीएनजी) तरल प्राकृतिक गैस (एलएनजी) द्वारा चालित वाहनों के लिए द्रव्यमान उत्सर्जन मानक' शब्दों और आंकड़ों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(ii) उप-नियम (4) के लिए निम्नलिखित उप-नियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात;-

"(4) मूल उपस्कर विनिर्मित एलएनजी अनन्य यान या जीवीडब्ल्यू ≥3.5 टी वाले प्रयोगरत डीज़ल वाहन से परिवर्तित एलएनजी वाहन या ओई/रिट्रोफिटिड एलएनजी दुहरे ईंधन वाहन/अपने किट घटकों सहित ईंधन द्वारा समय-समय पर यथा-संशोधित एआइएस-024 और एआइइस-028 में यथा-विनिर्धारित सुरक्षा अपेक्षाओं और संव्यवहार संहित को पूरा किया जाएगा।"

(iii) नियम 115 ख में, उप-नियम (1) में खंड ख के पश्चात, निम्नलिखित खंड को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात;-

"ख-क संपीडित प्राकृतिक गैस या जैव संपीडित प्राकृतिक गैस या तरल प्राकृतिक गैस वाले ओ ई/परिवर्तित दुहरे ईंधन डीज़ल वाहन।

 वाहन विनिर्माता द्वारा बनाए गए ओई सीएनजी या बायो-सीएनजी या एलएनजी दुहरे ईंधन वाहन (ड्राइव अवे चेज़िज सहित),-

(क) नए डीज़ल वाहनों में वाहन विनिर्माताओं द्वारा सीएनजी या बायो-सीएनजी या एलएनजी लगाए जाने के मामले में वाहन विनिर्माताओं द्वारा विनिर्मित प्रत्येक मॉडल को नए श्रेणी के वाहनों के लिए उनके उपयोग के स्थान के संबंध में यथा-अनुप्रयोज्य प्रचलित द्रव्यमान उर्त्सजन मानदंड़ों के अनुसार टाइप अनुपोदित किया जाएगा;

(ख) विशेष इंजन क्षमता के लिए अनुमोदित ओई सीएनजी या बायो-सीएनजी या एलएनजी दुहरे ईंधन वाहन को यथा-अनुप्रयोज्य इन नियमों के अंतर्गत अपेक्षाओं के अनुपालन में आधार मॉडल और इसके प्रकार में संस्थापित किया जा सकता है;

(ग) इन नियमों के अंतर्गत कण तत्वों और दृष्टिगोचर प्रदूषकों (धुआं) के उत्सर्जन के लिए परीक्षण दुहरे ईंधन सीएनजी या बायो-सीएनजी या एलएनजी इंजन/वाहन के लिए अनुप्रयोज्य होंगे।

(घ) मौजूदा सी ओ पी प्रक्रिया भी अन्प्रयोज्य होगी।

(ड.) दुहरे ईंधन मोड के लिए भी डीज़ल मोड हेतु मौजूदा द्रव्यमान उत्सर्जन और ओ बी डी मानदंड अनुप्रयोज्य होंगे।

(च) सीएनजी या बायो-सीएनजी या एलएनजी दुहरे ईंधन इंजनों के लिए दव्यमान उत्सर्जन मानक भी इस अपवाद के साथ कि एचसी को माप आधार पर एनएमएचसी (नॉन मिथेन हाइड्रोकार्बन) द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, डीज़ल इंजनों के लिए यथा-अनुप्रयोज्य मानक होंगे।

 (11) प्रयोगरत डीज़ल वाहनों के इंजनों का संशोधन करके सीएनजी या बायो-सीएनजी या एलएनजी दुहरे ईंधन परिवर्तन हेत्-

(क) प्रयोगरत डीज़ल वाहनों के इंजनों में संशोधन करके सीएनजी या बायो-सीएनजी या एलएनजी ईंधन परिवर्तन के लिए टाइप अनुमोदन वाहन के विशिष्ट मेक एवं मॉडल हेतु प्रदान किया जाएगा तथा निम्नलिखित न्यूनतम मानदंडों के अध्यधीन अपने विनिर्माण के तदनुरूपी वर्ष में डीज़ल वाहनों के टाइप अनुमोदन मानदंडों को पूरा किया जाएगा;-

(i) 1 अप्रैल, 2005 को और इसके पश्चात विनिर्मित वाहनों के लिए चार पहिया वाहनों के मामले में भारत स्टेज ।।। के न्यूनतम मानदंडों के अध्यधीन यथा-अनुप्रयोज्य टाइप अनुमोदन मानदंड तथा इन मानदंडों की वैधता तक तीन पहिया वाहनों के लिए भारत स्टेज ।। उत्सर्जन मानदंड;

(ii) 1 अप्रैल, 2010 को और इसके पश्चात विनिर्मित वाहनों के लिए चार पहिया वाहनों के मामले में भारत स्टेज ।।। के न्यूनतम मानदंडों के अध्यधीन यथा-अनुप्रयोज्य टाइप अनुमोदन मानदंड तथा इन मानदंडों की वैधता तक तीन पहिया वाहनों के लिए भारत स्टेज II उत्सर्जन मानदंड;

(ख) विशिष्ट इंजन क्षमता के लिए वाहन के संबंध में अनुमोदित सीएनजी या बायो-सीएनजी या एलएनजी दोहरी ईंधन किट को उसी क्षमता के इंजन के साथ फिट किए गए आधार मॉडल और उसके प्रकार पर संस्थापित किया जा सकता है;

(ग) केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 126 में उल्लिखित परीक्षण एजेंसी को टाइप अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किए गए वाहनों द्वारा इन नियमों के अंतर्गत यथा-अनुप्रयोज्य फिटनेस अपेक्षा का अनुपालन किया जाना होगा;

(घ) इन नियमों के अंतर्गत कण तत्वों और दृष्टिगोचर प्रदूषकों (धुआं) के उत्सर्जन के लिए परीक्षण दुहरे ईंधन सीएनजी या बायो-सीएनजी या एलएनजी इंजन/वाहन के लिए अनुप्रयोज्य होंगे।

(ड.) दुहरे ईंधन सीएनजी या बायो-सीएनजी या एलएनजी परिचालन के लिए संशोधित किए गए यांत्रिक रूप से नियंत्रित एवं इलैक्ट्रोनिक रूम से नियंत्रित डीज़ल ईंधन अंतःक्षेपित वाहनों के लिए पृथक टाइप अन्मोदन अपेक्षित है।

(च) सीएनजी या बायो-सीएनजी या एलएनजी दुहरे ईंधन इंजनों के लिए द्रव्यमान उत्सर्जन मानक भी इस अपवाद के साथ कि एचसी को माप आधार पर एनएमएचसी (नॉन मिथेन हाइड्रोकार्बन) द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, डीज़ल इंजनों के लिए यथा-अन्प्रयोज्य मानक होंगे।

स्पष्टीकरण- संशोधन करके 'ओई या प्रयोगरत' वाहनों के परिवर्तन के मामले में-

(क) ओ ई के रूप में दुहरे ईंधन सीएनजी या बायो-सीएनजी या एलएनजी इंजन (डीज़ल इंजन से परिवर्तित) से युक्त वाहन, या 'प्रयोगरत' डीज़ल वाहनों का संशोधन करके परिवर्तन के लिए टाइप अनुमोदन प्रदान करने के प्रयोजनार्थ परीक्षण एजेंसियों द्वारा निम्नलिखित तालिका के अनुसार निष्पादन परीक्षण किए जाएंगे, अर्थात;-

परीक्षण	संदर्भ दस्तावेज
(1)	(2)
i. द्रव्यमान उत्सर्जन परीक्षण	एमओआरटीएच / सीएमवीआर / टीएपी - 115 / 116
	और इस संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी की गयी
	अधिसूचनाएं।
ii. इंजन निष्पादन परीक्षण	एमओआरटीएच / सीएमवीआर / टीएपी - 115 / 116

#### तालिका

	और इस संबंध में भारत सरकार दवारा जारी की गयी	
	अधिसूचनाएं।	
iii. ग्रेडियेबिलिटी परीक्षण	केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 124 के	
	तहत जारी अधिसूचनाओं के अनुसार	
iv. ईंधन खपत परीक्षण	13 दिसंबर, 2004 की अधिसूचनासां. आ. 1365 (अ)	
	का क्रम संख्या 31	
v. वैद्युत चुंबकीय अनुकूलता (ईएमसी) परीक्षण	केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 124 के	
	तहत जारी अधिसूचनाओं के अनुसार	
vi. केवल दुहरी ईंधन प्रणाली वाली बसों पर कम से		
कम 250 किमी का रेंज परीक्षण		
vii. शीतलन परीक्षण	आईएस : 14557, 1998	
viii. दुहरे ईंधन सीएनजी / बायो-सीएनजी / एलएनजी	डीजल यानों के लिए यथा प्रयोज्य प्रचलित मानदंडों	
वाहनों के लिए द्रव्यमान उत्सर्जन मानक	के अनुसार होगा	
ix. स्टियरिंग प्रयास (यदि प्रयोज्य है)	आईएस : 11948 : 1999	
x. हैड लैंप लेवलिंग साधन (एचएलएलडी) (यदि	एआईएस 008 ; समय समय पर यथा संशोधित	
प्रयोज्य है)		

नोट : द्रव्यमान उत्सर्जन परीक्षण यथा प्रयोज्य या तो इंजन डायनेमोमीटर या चेसिस डाइनेमोमीटर पर किया जाएगा।

(ख) दुहरे ईंधन सीएनजी या बायो-सीएनजी या एलएनजी यानों के लिए परीक्षण प्रकिया और सुरक्षा दिशानिर्देश और संव्यवहार संहिता, उसकी संस्थापना सहित किट घटक, संगत बीआईएस विनिर्देशन के अधिसूचित होने तक, समय समय पर यथा संशोधित एआईएस - 024 और एआईएस - 028 के अनुसार होगा;

(ग) 'प्रयोगरत' यानों पर ओ.ई. फिटमेंट और रिट्रो फिटमेंट / परिवर्द्धन के लिए प्रकार अनुमोदन की जिम्मेदारी यान विनिर्माता और किट विनिर्माता या आपूर्तिकर्ता की होगी; प्रयोगरत

(घ) रिट्रो फिटमेंट के लिए सीएनजी या बायो सीएनजी या एलएनजी का दुहरे इंजन किट प्रकार अनुमोदन उसके निर्गम की तिथि से तीन वर्ष के लिए वैध होगा और एक बार में तीन वर्ष के लिए नवीकरणीय होगा;

(ङ) प्रयोगरत यानों में सीएनजी या बायो सीएनजी या एलएनजी दुहरे ईंधन किट का रिट्रो फिटमेंट किट विनिर्माता/आपूर्तिकर्ता या वाहन विनिर्माता, जैसा भी मामला हो, द्वारा प्राधिकृत कर्मशालाओं द्वारा निष्पादित किया जाएगा; ख-ख. एलएनजी चालित यानों के लिए द्रव्यमान उत्सर्जन मानक

(I) मूल उपस्कर/रूपांतरित गैसोलिन यान

(क) नये गैसोलिन यानों पर यान विनिर्माताओं द्वारा किए गए एलएनजी फिटमेंट के मामले मे, उप नियम 115 (ख) (1) (क) (1) के तहत मूल उपकरण सीएनजी यानों पर प्रयोज्य द्रव्यमान उत्सर्जन मानक, सुरक्षा और अन्य विनिर्दिष्ट अपेक्षाएं 3.5 टन या उससे कम जीवीडब्ल्यू वाले मूल उपकरण विनिर्मित यान पर प्रयोज्य होंगे।

(ख) प्रयोगरत एलएनजी किट युक्त गैसोलिन यानों में सुरक्षा और अन्य विनिर्दिष्ट अपेक्षाएं उप नियम 115 (ख) (1) (क) (II) के तहत संपरिवर्तित सीएनजी यानों पर प्रयोज्य द्रव्यमान उत्सर्जन मानक, सुरक्षा और अन्य विनिर्दिष्ट अपेक्षाएं 3.5 टन या उससे कम जीवीडब्ल्यू वालेप्रयोगरतगैसोलिन यानों से संपरिवर्तित एलएनजी यानों पर प्रयोज्य होंगे, जब ईंधन के रूप् में द्रवीकृत प्राकृतिक गैस का उपयोग होता है।

(II) प्रयोगरत डीजन यानों के इंजनों में परिवर्द्धन द्वारा एलएनजी रूपांतरण के लिए :-

उप नियम 115 (ख) (1) (ख) (11) के तहत संपरिवर्तित उपकरण सीएनजी यानों पर प्रयोज्य द्रव्यमान उत्सर्जन मानक, सुरक्षा और अन्य विनिर्दिष्ट अपेक्षाएं 3.5 टन से अधिक जीवीडब्ल्यू वाले प्रयोगरत संपरिवर्तित एलएनजी यानों पर प्रयोज्य होंगे, जब ईंधन के रूप में द्रवीकृत प्राकृतिक गैस का उपयोग होता है।

(III) प्रयोगरत डीजल इंजन का नये अनन्य एलएनजी इंजन से प्रतिस्थापन

उप नियम 115 (ख) (1) (ग) के तहत नये अनन्य सीएनजी इंजन द्वारा प्रयोगरत डीजल इंजन के प्रतिस्थापन पर प्रयोज्य द्रव्यमान उत्सर्जन मानक, सुरक्षा और अन्य विनिर्दिष्ट अपेक्षाएं ऐसे यानों पर प्रयोज्य होंगे, जिनमें प्रयोगरत डीजल इंजन का नये अनन्य एलएनजी इंजन द्वारा प्रतिस्थापन होता, जब द्रवीकृत प्राकृतिक गैस ईंधन के रूप में उपयोग होता है।

(4) नियम 115 ख के उप नियम (1) में, खंड ग के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतर्वेशित किया जाएगा, नामत: :-

"ग - क। प्रयोगरत डीजल इंजन का नये दुहरे ईंधन सीएनजी या बायो सीएनजी या एलएनजी इंजन से प्रतिस्थापन - नये दुहरे ईंधन सीएनजी/बायो सीएनजी/एलएनजी इंजन द्वारा प्रतिस्थापित प्रयोगरत डीजल इंजन के प्रकार अनुमोदन के लिए, इसे नीचे की तालिका में उल्लिखित परीक्षणों के अध्यधीन इसके उपयोग के स्थान के लिए यानों की श्रेणी पर यथा प्रयोज्य प्रचलित उत्सर्जन मानदंडों को पूरा करना होगा।

परीक्षण	संदर्भ दस्तावेज	
(1)	(2)	
i. द्रव्यमान उत्सर्जन परीक्षण	एमओआरटीएच / सीएमवीआर / टीएपी - 115 / 116	
	और इस संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी की गयी	
	अधिसूचनाएं।	
ii. इंजन निष्पादन परीक्षण	एमओआरटीएच / सीएमवीआर / टीएपी - 115 / 116	
	और इस संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी की गयी	
	अधिसूचनाएं।	
iii. ग्रेडियेबिलिटी परीक्षण	केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 124 के	
	तहत जारी अधिसूचनाओं के अनुसार	
iv. ईंधन खपत परीक्षण	13 दिसंबर, 2004 की अधिसूचना सां. आ. 1365	
	(अ) का क्रम संख्या 31	
v. वैद्युत चुंबकीय अनुकूलता (ईएमसी) परीक्षण	केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 124 के	
	तहत जारी अधिसूचनाओं के अनुसार	
vi. केवल दुहरी ईंधन प्रणाली वाली बसों पर कम से		
कम 250 किमी का रेंज परीक्षण		
vii. दुहरे ईंधन सीएनजी / बायो-सीएनजी / एलएनजी	डीजल यानों के लिए यथा प्रयोज्य प्रचलित मानदंडों	
वाहनों के लिए द्रव्यमान उत्सर्जन मानक	के अनुसार होगा	
viii. स्टियरिंग प्रयास (यदि प्रयोज्य है)	आईएस : 11948 : 1999	
ix. हैड लैंप लेवलिंग साधन (एचएलएलडी) (यदि	एआईएस 008 ; समय समय पर यथा संशोधित	
प्रयोज्य है)		

तालिका

व्याख्या : -

(क) नियम 126 में उल्लिखित परीक्षण अभिकरण को प्रकार अनुमोदन के लिए प्रस्तावित यानों को इन नियमों के अंतर्गत यथा प्रयोज्य फिटनेस अपेक्षा का अनुपालन करना होगा।

(ख) ऐसे दुहरे ईंधन सीएनजी या बायो सीएनजी या एलएनजी यानों, किट पुर्जों और उसके संस्थापन के लिए परीक्षण प्रक्रिया और सुरक्षा दिशानिर्देश और संव्यवहार संहिता, संगत बीआईएस विनिर्देशन के अधिसूचित होने तक, समय समय पर यथा संशोधित एआईएस - 024 और एआईएस - 028 के अनुसार होगा; (ग) परीक्षण अभिकरणों को उन मॉडलों और रूपांतरों को विशिष्ट रूप से दर्शाना आवश्यक होगा, जिस पर नये इंजन का प्रतिस्थापन वैध होगा।

(घ) सीएनजी या बायो सीएनजी या एलएनजी दुहरे ईंधन इंजन/यानों के लिए द्रव्यमान उत्सर्जन मानक वही होंगे जो डीजल इंजन / यानों पर प्रयोज्य हैं सिवाय इस अपवाद के कि एचसी को एनएमएचसी (गैर मिथेन हाईड्रोकार्बन) दवारा मापन आधार पर प्रतिस्थापित किया जाएगा।

5. नियम 115 ख के उप नियम (1) में, खंड घ के लिए निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किए जाएंगे, नामत: :-

घ. प्रयोज्य उत्सर्जन मानदंड

	इंजन की श्रेणी	प्रयोज्य उत्सर्जन मानदंड
	(1)	(2)
(i)	3,500 किग्रा या उससे कम जीवीडब्ल्यू वाले ओ. ई.	प्रचलित गैसोलिन मानदंड
	सीएनजी या बायो सीएनजी या एलएनजी श्रेणी एम	
	तथा श्रेणी एन यान, तिपहिया और दोपहिया	
(ii)	3,500 किग्रा या उससे कम जीवीडब्ल्यू वाले सीएनजी	प्रचलित गैसोलिन मानदंड
	या बायो सीएनजी या एलएनजी श्रेणी एम तथा श्रेणी	
	एन यान, गैसोलिन यान से तिपहिया और दोपहिया	
(iii)	3,500 किग्रा या उससे कम जीवीडब्ल्यू वाले सीएनजी	प्रचलित डीजल मानदंड
	या बायो सीएनजी या एलएनजी श्रेणी एम तथा श्रेणी	
	एन यान, डीजल यान से तिपहिया और दोपहिया रिट्रो	
	फिटमेंट	
(iv)	1 अप्रैल 2010 तक विनिर्मित 3,500 किग्रा से अधिक	13 मोड स्थिर अवस्था इंजन डायनेमोमीटर
	जीवीडब्ल्यू वाले श्रेणी एम तथा श्रेणी एन यान के लिए	परीक्षण या 13 मोड इंजन स्थिर अवस्था
	सीएनजी या बायो सीएनजी या एलएनजी इंजन	चक्र, यथा प्रयोज्य, पर आधारित प्रचलित
	(ओई/रिट्रोफिटेड; अनन्य / दुहरे ईंधन)	डीजल इंजन मानदंड
(v)	1 अप्रैल 2010 के बाद से विनिर्मित 3,500 किग्रा से	प्रचलित डीजल इंजन उत्सर्जन मानदंड
	अधिक जीवीडब्ल्यू वाले श्रेणी एम तथा श्रेणी एन यान	
	के लिए सीएनजी या बायो सीएनजी या एलएनजी इंजन	
	(ओई/रिट्रोफिटेड; अनन्य / दुहरे ईंधन)	

तालिका 1

6. नियम 115 ख के उप नियम (1) में खंड च में, नोट में, खंड 7 के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतर्विश्ट जाएंगे, नामत: :- (8) ओ. ई. डीजल और दुहरे ईंधन सीएनजी या बायो सीएनजी या एलएनजी यान का अभिप्राय है ''वे यान जो यान विनिर्माता द्वारा उनके प्रथम पंजीकरण के पूर्व डीजल और दुहरे ईंधन सीएनजी या एलएनजी परिचालन के लिए विनिर्मित हैं।''

(9) सीएनजी या बायो सीएनजी या एलएनजी दुहरे ईंधन यान या अनन्य एलएनजी यान मे रूपांतरित डीजल यान का अभिप्राय है "डीजल यान के रूप में पहले से पंजीकृत कोई यान और जिसमें सीएनजी या बायो सीएनजी या एलएनजी किट लगा कर और अन्य आवश्यक परिवर्तन कर सीएनजी या बायो सीएनजी या एलएनजी दुहरी ईंधन या अनन्य एलएनजी में रूपांतरित किया गया है।"

> [फा.सं. आर.टी.-11028/02/2017-एमवीएल] अभय दामले, संयुक्त सचिव

नोट : मूल नियम 2 जून 1989 की अधिसूचना संख्या सा. सां. नियम 590(अ.) के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार दिनांक ...... की अधिसूचना संख्या सा. का. नि. .....(अ.) के तहत संशोधित किए गए थे।

### MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd May, 2018.

**G.S.R.416(E)**.—The following draft of certain rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 110 of Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) is hereby published as required by sub-section (1) of Section 212 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft shall be taken into consideration after expiry of a period of thirty days from the date on which the copies of the Gazette of India containing this notification are made available to the Public.

2. Objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules within the period aforesaid shall be considered by the Central Government.

3. Objections and suggestions to these draft rules, if any, may be sent to the Joint Secretary (Transport), Ministry of Road Transport and Highways, Transport Bhawan, Parliament Street, New Delhi 110 001 or email at <u>js-tpt@gov.in</u>, within the period specified above.

#### **DRAFT RULES**

2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989 (hereinafter referred as the principal rules), after rule 115A, the following rule shall be inserted, namely:-

# "115-AA. Emission of smoke and vapour from agriculture tractors, power tillers, construction equipment vehicles and combine harvesters driven by dualfuel diesel with Compressed Natural Gas or Bio-Compressed Natural Gas or Liquefied Natural Gas engines

- (1) In case of agriculture tractors, power tillers, construction equipment vehicles and combine harvesters driven by OE manufactured or converted in-use diesel engines to dual fuel by using diesel engines and any fuel out of Compressed Natural Gas (here in after referred as CNG), Bio-Compressed Natural Gas (here in after referred as Bio-CNG) or Liquefied Natural Gas (here in after referred as LNG), prevailing mass emission norms for diesel mode shall also be applicable for CNG or Bio-CNG or LNG dual fuel mode for type approval and Conformity of Production (CoP)."
- (2) The CNG or Bio-CNG or LNG composition used for carrying out emission shall meet the fuel specifications as notified by the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas, or Bureau of Indian Standard, as the case may be, for automotive application from time to time:

Provided that till such time thecommercial CNG or Bio-CNG shall be used for the purpose of type approval and conformity of production and in case of LNG, fuel complying to the requirements as provided in Annexure IV- LA shall be used for the purpose of type approval and conformity of production.

- (3) The Original Equipment manufacturer or retrofitter shall meet the safety requirements and code of practice for vehicle /engine and its kit components as laid down in Annexure IX (referred in rule 115 B (1) E), AIS-024 and AIS- 028, as amended from time to time.
- (4) Mass emission standards for CNG or Bio-CNG or LNG dual fuel engines of agriculture tractors, power tillers, construction equipment vehicles and combine harvesters shall be same as are applicable for diesel engines of agriculture tractors, power tillers, construction equipment vehicles and combine harvesters with exception that HC shall be replaced by NMHC (Non-Methane Hydrocarbon) on measurement basis.
- (5) Tests for particulate matter and emission of visible pollutants (smoke) under these rules shall be applicable for dual fuel CNG or Bio-CNG or LNG engine/vehicle.

3.In rule 115B,-

- (i) in the title, for the words and figures, "Mass emission standards for Compressed Natural Gas Driven Vehicles.", the words and figures, "Mass emission standards for Compressed Natural Gas (CNG) or Bio-Compressed Natural Gas (Bio-CNG) or Liquefied Natural Gas (LNG) Driven Vehicles." shall be substituted.
- (ii) for sub-rule (4), the following sub-rule shall be substituted, namely; -

"(4) The Original Equipment manufactured LNG dedicated vehicle or Converted LNG vehicle from in-use diesel vehicle having GVW  $\geq$ 3.5 T or OE /retrofitted LNG duel fuel vehicle/engine including its kit components shall meet the safety requirements and code of practice as laid down in AIS-024 and AIS- 028, as amended from time to time."

(iii) In rule 115B, in sub-rule (1), afterclause B, following clause shall be inserted, namely; -

## "B-A.O.E. /Converted Duel Fuel Diesel withCompressed Natural Gas or Bio-Compressed Natural Gas or Liquefied Natural Gas Vehicles.

#### (I) For O.E.CNG or Bio-CNG or LNG dual fuel vehicle (including drive away chassis) made by vehicle manufacturer, -

- (a) in case of CNG or Bio-CNG or LNG fitments by vehicle manufacturers on new diesel vehicles, each model manufactured by vehicle manufacturers shall be type approved as per the prevailing mass emission norms as applicable for the category of new vehicles in respect of the place of its use;
- (b) O.E. CNG or Bio-CNG or LNG dual fuel engine approved for specific engine capacity can be installed on the base model and its variant complying with the requirements under these rules as applicable;
- (c) Tests for particulate matter and emission of visible pollutants (smoke) under these rules shall be applicable for dual fuel CNG or Bio-CNG or LNG engine/vehicle;
- (d) Prevailing COP procedure will also be applicable;

- [PART II—SEC. 3(i)]
- (e) Prevailing mass emission and OBD norms for diesel mode shall also be applicable for dual fuel mode.
- (f) Mass emission standards for CNG or Bio-CNG or LNG dual fuel engines/vehicles shall be same as are applicable for diesel engines/vehicles with exception that HC shall be replaced by NMHC (Non-Methane Hydrocarbon) on measurement basis.

#### (II) For CNG or Bio-CNG or LNG dual fuel conversion by modification of engines of in-use diesel vehicles.-

- (a) Type approval for CNG or Bio-CNG or LNG dual fuel conversion by modification of engines of in-use diesel vehicles shall be given for specific make and model of vehicle and shall meet type approval norms of diesel vehicles corresponding to the year of their manufacture subject to the following minimum norms;-
  - (i) for the vehicles manufactured on and after the 1<sup>st</sup> April 2005, the type approval norms as applicable subject to minimum of Bharat Stage III emission norms in case of four wheelers and Bharat stage II emission norms for three wheelers till the validity of these norms;
  - (ii) for the vehicles manufactured on and after the 1<sup>st</sup> April 2010, the type approval norms as applicable subject to minimum of Bharat Stage IV emission norms in case of four wheelers and Bharat Stage III emission norms for three wheelers till the validity of these norms;
- (b) CNG or Bio-CNG or LNG dual fuel kit approved on the vehicle for specific engine capacity can be installed on the base model and its variant fitted with the same capacity engine;
- (c) Vehicles offered for type approval to the testing agency referred in rule 126 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989 shall have to comply with the fitness requirement, as applicable under these rules;
- (d) Tests for particulate matter and emission of visible pollutants (smoke) under these rules shall be applicable for dual fuel CNG or Bio-CNG or LNG engine/vehicle
- (e) Separate type approval is required for mechanically controlled and electronically controlled diesel fuel injected vehicles when modified for dual fuel CNG or Bio-CNG or LNG operation.
- (f) Mass emission standards for CNG/Bio CNG/ LNG dual fuel engines/vehicles shall be same as are applicable for diesel engines/vehicles with exception that HC shall be replaced by NMHC (Non-Methane Hydrocarbon) on measurement basis.

Explanation.- In the case of OE or conversion of "In-Use" vehicles by modification-

(a) for the purpose of grantingtype approval to the vehicle fitted with dual fuel CNG or Bio-CNG or LNG engine (converted from diesel engine) as O.E., or conversion by modification of "Inuse" diesel vehicles, performance tests shall be carried as per Table given below by the test agencies, namely:-

Test	Reference Document	
(1)	(2)	
i. Mass emission tests	MoRTH/CMVR/TAP-115/116 and notifications	
	issued by Government of India in this respect.	
ii. Engine performance test	MoRTH/CMVR/TAP-115/116 and notifications issued by	
	Government of India in this respect.	
iii. Gradeability test	In accordance with notification issued under rule 124 of Central	
	Motor Vehicles Rules, 1989.	
iv. Fuel consumption test	SL No 31 of Notification No S.O. 1365 (E) dated 13 <sup>th</sup> December,	
	2004.	
v. Electromagnetic Compatibility(EMC) test	In accordance with notification issued under rule 124 of Central	
	Motor Vehicles Rules, 1989.	
vi. Range test of at least 250 kms for buses on		
dual fuel mode only		
vii. Cooling performance	IS: 14557,1998	
viii. Mass emission norms for duel fuel	el Shall be as per prevailing norms, as applicable, for diesel vehicles.	

#### TABLE

ſ	CNG/Bio-CNG/LNG vehicles	
	ix. Steering effort( if applicable)	IS: 11948:1999
	x. Head lamp levelling devices(HLLD)(if	AIS 008 ; as amended from time to time
	applicable)	

**Note:** - Mass emission tests shall be carried out either on engine dynamometer or chassis dynamometer, as applicable

- (b) Test procedure and safety guidelines and code of practice for dual fuel CNG or Bio-CNG or LNG vehicles, kit components including installation thereof, shall be as per AIS-024 and AIS-028, as amended from time to time, till such time as corresponding BIS specifications are notified;
- (c) For O.E. fitment and retro fitment/modification on "In-Use" vehicles the responsibility of type approval shall be that of vehicle manufacturer and kit manufacturer or supplier respectively;
- (d) The type approval of CNG or Bio-CNG or LNGdual fuel kit for retro fitment shall be valid for three years from date of issue and shall be renewable for three years at a time;
- (e) The retro fitment of CNG or Bio-CNG or LNGdual fuel kits on in-use vehicles shall be carried out by workshops authorized by the kit manufacturer/supplier or vehicle manufacturers, as the case may be;

#### B-B. Mass emission standards for LNG driven vehicles

#### (I) Original Equipment/Converted Gasoline Vehicles:

(a) In case of LNG fitments by vehicle manufacturers on new gasolinevehicles , the mass emission standards , safety and other specified requirements applicable to Original Equipment CNG Vehicles undersubrule 115(B) (1) (A) (I) shall be applicable to Original Equipment manufactured vehicle having GVW less than or equal to 3.5 T.

(b) The in-use gasoline vehicles fitted with LNG kits, the mass emission standards , safety and other specified requirements applicable to converted CNG Vehicles undersub-rule 115(B) (1) (A)(II) shall be applicable to converted LNG vehicle from in use gasoline vehicle having GVW less than or equal to 3.5 T, when Liquefied Natural Gas is used as fuel.

#### (II) For LNG conversion by modification of engines of in-use diesel vehicles.-

The mass emission standards ,safety and other specified requirements applicable to converted CNG Vehicles under sub-rule 115(B) (1) (B)(II) shall be applicable to converted LNG vehicle from in use diesel vehicle having GVW more than 3.5 T, when Liquefied Natural Gas is used as fuel.

#### (III) Replacement of In-use Diesel Engine by New dedicated LNG Engine

The mass emission standards , safety and other specified requirements applicable to replacement of Inuse Diesel Engine by New dedicated CNG Engine under sub-rule 115(B) (1) (C) shall be applicable to vehicles , wherein replacement of In-use Diesel Engine by New dedicated LNG Engine , when Liquefied Natural Gas is used as fuel."

(4) In sub-rule (1) of rule 115B, after clause C, following clause shall be inserted, namely;-

#### "C-A.Replacement of In-use Diesel Engine by New dual fuel CNG or Engine. - For type approval of in-use vehicle having diesel engine replaced by new dual fuel CNG/Bio-CNG/LNG Engine, it shall meet prevailing emission norms as applicable to the Category of vehicles in respect of its place of use subject to tests mentioned in the Table given below.

#### TABLE

Test	Reference Document	
(1)	(2)	
i. Mass emission tests	MoRTH/CMVR/TAP-115/116 and notifications issued by	

13

		Government of India in this respect.	
ii. Engine performance test		MoRTH/CMVR/TAP-115/116 and notifications issued by	
- •		Government of India in this respect.	
iii.	Gradeability test	In accordance with notification issued under rule 124 of	
		Central Motor Vehicles Rules, 1989.	
iv.	Fuel consumption test	SL No 31 of Notification No S.O. 1365 (E) dated 13 <sup>th</sup>	
		December, 2004.	
v.	Electromagnetic Compatibility (EMC) test	In accordance with notification issued under rule 124 of	
		Central Motor Vehicles Rules, 1989.	
vi.	Range test of at least 250 kms for buses on dual		
	fuel mode only		
vii.	Mass emission norms for duel fuel CNG/Bio-	Shall be as per prevailing norms, as applicable, for diesel	
	CNG/LNG vehicles	vehicles.	
viii.	Steering effort( if applicable)	IS: 11948:1999	
ix.	Head lamp levelling devices(HLLD)(if	AIS 008; as amended from time to time	
	applicable)		

#### Explanation. -

- (a) Vehicles offered for type approval to the testing agency referred in rule 126 shall have to comply with fitness requirement, as applicable under these rules.
- (b) Test procedure and safety guidelines and code of practice for such dual fuel CNG or Bio-CNG or LNG vehicles, kit components including installation thereof shall be as per AIS-024 and AIS-028, as amended from time to time, till such time as corresponding BIS specifications are notified.
- (c) Testing agencies will be required to indicate specifically, the models and variants on which the replacement of new engine will be valid.
- (d) Mass emission standards for CNG or Bio-CNG or LNG dual fuel engines/vehicles shall be same as are applicable for diesel engines/vehicles with exception that HC shall be replaced by NMHC (Non-Methane Hydrocarbon) on measurement basis."

Tabla 1

5. In sub-rule(1) of rule 115B, forclause D, following clauseshall be substituted, namely;-

#### "D. Applicable Emission Norms

	Lable .	L
	Category of Engines	Applicable Emission Norms
	(1)	(2)
(i)	O.E. CNG or Bio-CNG or LNG Category M and Category N	
	vehicles with GVW equal to or less than 3,500 kg, three	
	wheelers and two wheelers	
(ii)	CNG or Bio-CNG or LNG Category M and category N	
	vehicles with GVW equal to or less than 3,500 kg, three and	
	two wheelers retro fitment from gasoline vehicles	
(iii)	CNG or Bio-CNG or LNG(dedicated / dual fuel) category M	
	and Category N vehicles with GVW equal to or less than	
	3,500 kg, three and two wheelers retro fitment from diesel	
	vehicles.	
(iv)	CNG or Bio-CNG or LNG(OE/retrofitted ; dedicated/ dual	Prevailing diesel engine norms based on 13-mode
	fuel) engines Category M and Category N vehicles with	
	GVW greater than 3,500 kg manufactured up to 1 <sup>st</sup> April	Engine Steady State Cycle as applicable.
	2010.	
(v)	CNG or Bio-CNG or LNG engines (OE/retrofitted ;dedicated/	Prevailing diesel engine emission norms."
	dual fuel) for Category M and Category N vehicles with	
	GVW greater than 3,500 kg manufactured on the from 1 <sup>st</sup>	
	April 2010.	

- 6. In sub-rule (1) of rule 115B, in clause F, in Note, after clause 7, the following clauses shall be inserted, namely; -
  - "(8) O.E. Diesel and DualFuel CNG or Bio-CNG or LNG Vehicle" means vehicles which are manufactured for diesel and dual fuel CNG or Bio-CNG or LNG operation by vehicle manufacturer prior to their first registration."
  - (9) Converted diesel vehicle to CNG or Bio-CNG or LNG dual fuel vehicle or dedicated LNG Vehicle" means a vehicle already registered as diesel vehicle and is subsequently converted for CNG or Bio-CNG or LNG dual fuel or dedicated LNG by adding the CNG or Bio-CNG or LNG kit and other necessary changes"

[F. No RT-11028/02/2017 - MVL]

ABHAY DAMLE, Jt. Secy.

**Note.** - The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. 590(E), dated the  $2^{nd}$  June, 1989 and lastly amended *vide* notification number G.S.R ....... (E) Dated .....